संख्या- 12 /2021 /117/कनिप्र/26-3-2021-6(35)/2006

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 16 मार्च,2021

समाज कल्याण विभाग

विषय: उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-1870/लेखा/बजट/2020-21 दिनांक 18 जनवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 376.26 लाख (रू0 तीन करोड छिहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

2- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञापसंख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/ 2020 दिनांक 24 मार्च,2020, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18-05-2020, शासनादेश संख्या- 10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 29-09-2020, शासनादेश संख्या-12/2020/बी-1-706/ दस-2020-231/ 2020 दिनांक 09-12-2020 एवं शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/ दस-2021-231/2020 दिनांक 20-01-2021 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित योजनाधिकारी की होगी।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5- बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

6- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

7- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय संपादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों/व्यवस्थाओं के अधीन ही आहरित/व्यय की जायेगी।

10- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के संबंध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

13- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुकान निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से अंश्दान (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-225/दस/2021 दिनांक 10 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या-12 /2021 / 117 (1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।